राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

सत्यमेव जयते

अग्रहायण 29, शनिवार, शाके 1936–दिसम्बर 20, 2014
Agrahayana 29, Saturday, Saka 1936–December 20, 2014

भाग 4 (ख)

राज्यपाल, राजस्थान के अध्यादेश।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 20, 2014

संख्या प. 4(3) विधि/2/2014.–राजस्थान राज्य के राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर, 2014 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया निम्नांकित अध्यादेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2014

(2014 का अध्यादेश संख्यांक 2)

[राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर, 2014 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया]

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए अध्यादेश।

यतः, राजस्थान राज्य विधान सभा सत्र में नहीं है और राजस्थान राज्य के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

अतः अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में इसके द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अध्यादेश का नाम राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 19 का संशोधन.-** राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 19 में,-

(i) खण्ड (थ) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न ":" के स्थान पर विराम चिह्न ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ii) इस प्रकार संशोधित विद्यमान खण्ड (थ) के पश्चात् और विद्यमान परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित नये खण्ड अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्ः-

"(द) जिला परिषद् या पंचायत समिति के सदस्य के मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या उसके समकक्ष किसी बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण हो;

(ध) किसी अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत के सरपंच के मामले में किसी विद्यालय से कक्षा 5 उत्तीर्ण हो; और

(न) किसी अनुसूचित क्षेत्र में की पंचायत से भिन्न किसी पंचायत के सरपंच के मामले में किसी विद्यालय से कक्षा 8 उत्तीर्ण हो:"; और

(iii) स्पष्टीकरण-II के पश्चात् निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात्ः-

"**स्पष्टीकरण-III**.- इस धारा के खण्ड (ध) और (न) के प्रयोजन के लिए-

(i) "अनुसूचित क्षेत्र" से भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में यथा निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है; और

(ii) शब्द "विद्यालय" का वही अर्थ होगा जो उसे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) की धारा 2 के खण्ड (ढ) में दिया गया है।"।

कल्याण सिंह,
राज्यपाल, राजस्थान।

गोवर्धन बाढ़दार,
शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION

Jaipur, December 20, 2014

No. F. 4 (3) Vidhi/2/2014.– In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Panchayati Raj (Dviteeya Sanshodhan) Adhyadesh, 2014 (2014 Ka Adhyadesh Sankhyank 2) promulgated by him on the 20th day of December, 2014:-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (SECOND AMENDMENT) ORDINANCE, 2014

(Ordinance No. 2 of 2014)

[Made and promulgated by the Governor on the 20th day of December, 2014]

An

Ordinance

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Whereas, the Rajasthan State Legislative Assembly is not in session and the Governor of the State of Rajasthan is satisfied that

circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor hereby promulgates in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, the following Ordinance, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Ordinance may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Second Amendment) Ordinance, 2014.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 19, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- In section 19 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994),-

(i) in clause (q), for the existing punctuation mark ":" appearing at the end, the punctuation mark ";" shall be substituted;

(ii) after the clause (q), so amended and before the existing proviso, the following new clauses shall be inserted, namely:-

"(r) in case of a member of a Zila Parishad or a Panchayat Samiti, has not passed secondary school examination of the Board of Secondary Education, Rajasthan or of an equivalent Board;

(s) in case of a Sarpanch of a Panchayat in a Scheduled Area, has not passed class V from a School; and

(t) in case of a Sarpanch of a Panchayat other than in a Scheduled Area, has not passed class VIII from a School:"; and

(iii) after the Explanation-II, the following new Explanation shall be added, namely:-

"**Explanation-III.**- For the purpose of the clauses (s) and (t) of this section-

(i) "Scheduled Area" means the Scheduled Area as referred to in clause (1) of article 244 of the Constitution of India; and

(ii) the word "School" shall have the same meaning as assigned to it in clause (n) of

section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act No. 35 of 2009).".

कल्याण सिंह,
Governor of Rajasthan.

गोवर्धन बाढ़दार,
Secretary to the Government.

5

Government Central Press, Jaipur.